न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
38 / 25	22.04.2025	24.06.2025

बउनवान

1. कालूराम पुत्र श्री भूराराम उर्फ भूरिया जाति अहीर निवासी गांधीनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. लेण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी सम्वत् 2073 से 76 खाता नं0 281, खाता नं0 520, खाता नं0 18 व खाता नं0 15 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है जिन खातो में मिन प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम दर्ज है जो कि पटवारी हल्का ने छोटा उर्फ छोटिया की विरासत दर्ज करते समय सहवन से भूरिया की जगह भूराराम दर्ज कर दिया जबकि मेरे पिता का सही नाम भूरिया है जो बाकी सभी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र भूरिया, पहचान पत्र इलैक्शन कार्ड भूरिया तथा मिन प्रार्थी कालूराम के राशनकार्ड में पिता का नाम भूरिया, वोटर आई डी के मतदाता पहचान पत्र में पिता का नाम भूरिया एवं आधार कार्ड कालूराम में पिता का नाम भूरिया, नगरपालिका चेयरमैन द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. यह है कि उक्त गलती पटवारी द्वारा सहवन से की गयी है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम भूरिया ही बताया गया था परन्तु सहवन से लिखा गया मेरे पिता के नाम दीगर जमीन खरीद की है उसमें भी भूरिया अंकित है।
3. यह है कि जमाबन्दीयों में अलग अलग नाम होने से केडिट कार्ड व अन्य कार्यो में परेशानी हो रही है जिसे दुरुस्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी सम्वत् 2073 से 76 खाता नं0 281, खाता नं0 520, खाता नं0 18 व खाता नं० 15 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम के स्थान पर भूरिया दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :–

वाके ग्राम गांधीनगर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज –पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में भूरिया नाम ही दर्ज है । प्रार्थी अन्य दस्तावेज के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी अपने पिता का नाम भूराराम के स्थान पर भूरिया दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर पहुचने पर उपस्थित जनों द्वारा बताया गया कि भूराराम तथा भूरिया एक व्यक्ति है । मुताबिक का पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त शुद्धि की अनुशंषा की जाती है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में इंतकाल, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, कार्यालय नगर पालिका मुण्डावर लैट पेड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम दर्ज है जबकी प्रार्थी के पिता का सही नाम भूरिया है। जिसका अंकन समस्त सरकारी दस्तावेजात में हो रखा है। प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम ना होकर भूरिया होने के बाबत की अभिषाशा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा की गई है। इसलिए प्रार्थी के पिता का भूराराम को हजफ कर भूरिया राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का श्रम करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवाज में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम ना होकर भूरिया दर्ज है। जिससे दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार मुण्डावर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में भी अभिषांशा की है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि खाता नं0 281,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

खाता नं0 520, खाता नं0 18 व खाता नं० 15 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में अंकित प्रार्थी के पिता भूराराम को कलमंजन किया जाकर उसके स्थान पर भूरिया राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner